(11)

।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

2009/495

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं० 1/120 तारीख रज्जू 06.11.2009

01– चेतराम पुत्र छीतर जाति चमार निवासी कालीखोल तहसील व जिला अलवर

1/1 भगवान सहाय

1/2 खेमचन्द

पुत्रान चेतराम जाति चमार निवासी कालीखोल तहसील व जिला अलवर

1/3 तारा पुत्री चेतराम पत्नी रामजीवन जाति चमार निवासी हाल ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

1/4 बीना पुत्री चेतराम पत्नी ज़गदीश

1/5 राजबाई पुत्री चेतराम पत्नी मुकेश जाति चमार निवासी हाल ग्राम तिलकपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

1/6 रामवती पुत्री चेतराम जाति चमार निवासी ग्राम कालीखोल तहसील व जिला अलवर —वादी

बनाम

01– राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश, अलवर।

02– तहसीलदार अलवर —प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज० काश्तकारी अधि०, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक: 05 .09.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक दावा

Scanned by CamScanner

रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 326 रकबा 0.11 है०, 329 रकबा 0.79 है०, 330 रकबा 0.28 है०, 333 रकबा 0.07 है०, 338 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 रकबा 1.27 है० वाके ग्राम कालीखोल तहसील अलवर में स्थित है। वादी को दिनांक 24.09.1975 को उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा आवंटन की गई थी। कब्जा दिया गया था। वादी बहैसियत गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आवंटन के दिनांक से ही वादी काबिज रहकर कर काश्त करता चला आ रहा है। आज भी वादी का कब्जा है। बारह वर्ष से अधिक समय होने के कारण स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। गैर खातेदार से खातेदार का अंकन राजस्व रिकार्ड में वादी व वादी के वारिसान का कराया जावे। वादी काफी समय से खातेदारी दिये जाने की प्रार्थना करता रहा है। दिनांक 29.09.2009 को प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार देने से इन्कार कर दिया बिनाय दवामी व बिनाय मुखासमत दिनांक 29.09.2009 को पैदा हुई है। वाद ग्रस्त आराजी न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है। आराजी गैर खातेदारी होने से प्रार्थीगण को काफी नुकसान है। प्रार्थी को क्रेडिट कार्ड, लोन वगै० नही मिल पा रहा है। इस कारण वादी का वाद स्वीकार कर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे एवं वादी को हाल खसरा नम्बर 326 रकबा 0.11 है०, 329 रकबा 0.79 है०, 330 रकबा 0.28 है०, 333 रकबा 0.07 है०, 338 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 रकबा 1.27 है० वाके ग्राम कालीखोल तहसील अलवर में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से [illegible] सरकार उपस्थित आऐ। पैरोकार सरकार ने दिनांक 06.04.201[illegible] को जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में जाहिर किया है कि वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

13

कब्जा काश्त नही है। वादी ने कोई रिकार्ड पेश नही किया है। वादी ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की है। शर्तों की पालना ना होने के कारण खातेदारी नही दी जा सकती है। वाद काबिल खारिज है। दावा मयाद बाहर है। वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई।

01– आया वादी विवादित हाल खसरा नम्बर 326, 329, 330, 333, 338 कुल किता 5 रकबा 1.27 है० वाके ग्राम कालीखोल तहसील अलवर का राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी के स्थान पर वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। **–वादी**

02– आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नही है। वादी ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की है, इसलिए वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। **–प्रतिवादी**

03– आया वादी ने विवादित आराजी का कब्जा बाबत कोई रिकॉर्ड पेश नही किया है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

–प्रतिवादी

04– अनुतोष

वादी को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं का शथपत्र, आवंटन आदेश दिनांक 24.09.1975 व मौका पर्चा व रिपोर्ट पटवारी हलका की फोटोकापी एवं जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2051 व नोटिस 80 सीपीसी व लगान की रसीद पेश की है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। वादी के वकील ने अपनी वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वाद [illegible] की।

पैरोकार सरकार की [illegible] कोई दस्तावेज पेश नही किये ना ही कोई मौ[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(14)

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली पर बनाये गये विवाद्यक अनुसार निम्न निर्णय किया जाता है:–

01– आया वादी विवादित हाल खसरा नम्बर 326, 329, 330, 333, 338 कुल किता 5 रकबा 1.27 है० वाके ग्राम कालीखोल तहसील अलवर का राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी के स्थान पर वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है।

साबिक खसरा नम्बर 148मिन रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 326, 329, 330, 333, 338 कुल किता 5 रकबा 1.27 है० वाके ग्राम कालीखोल तहसील अलवर वादी को दिनांक 24.09.1975 को आवंटन किये गये थे। वादी ने आवंटन की शर्तो का पालन नही की है। वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

02– आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नही है। वादी ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की है, इसलिए वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

आराजी साबिक खसरा नम्बर 148मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम काली खोल वादी को 24.09.1975 को आवंटन की गई थी। वादी ने आवंटन की शतो का पालन नही किया है। व वादी का मौके पर कब्जा भी नही है। ना ही इस प्रकार के कोई दस्तावेजात वादी ने पेश किये है। जिससे की वादी को वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रदान की जा सके। वादी ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की है व वादी का मौके पर कब्जा नही है ना ही वादी ने कोई दस्तावेजात पेश किये है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित कर तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner